

श्रीमती बी. नरसममा

बनाम

वाणिज्यिक कर उपायुक्त कर्नाटक & अन्य

(सिविल अपील संख्या 4149/2007)

11 अगस्त 2016

[ए.के. सीकरी और आर.एफ.नरीमन, जेजे]

कराधान-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956-धारा 14 और 15-विशेष महत्व की घोषित वस्तुएं-दर और कर योग्य बिंदु-ऐसी घोषित वस्तुएं, जो कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम और कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत कर योग्य हैं, यदि समान रहती हैं या कार्य अनुबंधों के निष्पादन में उपयोग किए जाने पर कर योग्य होने पर घोषित वस्तु के रूप में अपनी पहचान खो देती हैं-आयोजित: 46वें संविधान संशोधन के बाद कर लगाने योग्य कार्य अनुबंध धारा 15, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के साथ पठित अनुच्छेद 286 (3) के अभ्यास के अधीन हैं-विचाराधीन वस्तुएं (लोहा और इस्पात उत्पाद) जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाती हैं, भवनों में उपयोग किए जाने वाले सीमेंट कंक्रीट के सुदृढीकरण के लिए, करयोग्यता के बिंदु पर बिल्कुल वही वस्तु बनी रहती हैं, यानी वृद्धि का बिंदु (भवन या संरचना में शामिल करने का बिंदु)-केवल विभिन्न आकारों

में कटौती और झुकने से इन वस्तुओं की पहचान नहीं जाती है-इसलिए, धारा 15, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957-धारा 5 (4) में निहित प्रतिबंधों के अनुसार केवल 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 366 (29 ए) को जोड़ा गया था, जिसके द्वारा किसी कार्य अनुबंध में शामिल वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाना संभव हो गया था। कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम में कार्य अनुबंधों में शामिल वस्तुओं पर कर लगाने के लिए धारा 5-बी जोड़कर संशोधन किया गया था। उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची घोषित वस्तुओं से संबंधित है जिनके संबंध में धारा 5 (4) के तहत एकल बिंदु कर लगाया जाता है। [पैरा 6 और 7] 765-बी; 766-ए]

2. बिल्डर्स एसोसिएशन और मैसर्स गैनन डंकरले के संयुक्त अध्ययन से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आते हैं। सबसे पहले, 46वें संविधान संशोधन के बाद जिन कार्य अनुबंधों पर कर लगाया जाना है, वे केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 286(3) के अधीन हैं, अर्थात्, वे एक बिंदु पर और एक बिंदु पर कर योग्य हैं। प्रासंगिक समय पर दर 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, जिस बिंदु पर ये लौह और इस्पात उत्पाद कर योग्य हैं, वह

अभिवृद्धि का बिंदु है, अर्थात्, भवन या संरचना में शामिल होने का बिंदु। बिल्डर्स एसोसिएशन और मेसर्स गैनन डंकरले में निर्धारित कानून के आलोक में, घोषित माल पर केवल 4% की दर से कर लगाया जा सकता है। [पैरा 13 और 18] [769-जी-एच; 770-ए; 778-ई]

कर्नाटक राज्य और आदि बनाम मेसर्स रेड्डी स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और आदि बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत का संघ (1989) 2 एससीसी 645: 1989 (2) एससीआर 320; गैनन डंकरले एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य (1993) 1 एससीसी 364 : 1992 (3) पूरक एससीआर 103 - पर भरोसा किया।

तमिलनाडु राज्य बनाम मेसर्स प्यारे लाल मल्होत्रा और अन्य (1976) 1 एस. सी. सी. 834:1976 (2) एस. सी. आर. 168-संदर्भित।

#### प्रकरण विधि संदर्भ

1976(2) एससीआर 168	संदर्भित	पैरा 12
1989(2) एससीआर 320	भरोसा किया	पैरा 13,14,&18
1992(3)पूरक एससीआर 103	भरोसा किया	पैरा 13,14,&18

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 4149/2007

2003 के एस. टी. आर. पी. सं. 34 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के  
दिनांकित 12.08.2004 के निर्णय और आदेश से

के साथ

सी.ए. संख्या 4318 और 4319/2007

सी.ए. संख्या 7400,7401-7872 और 7873-7916/2016

एन. वैकट रमन, बसव प्रभु एस. पाटिल, एस. के. बागरिया, के. वी.  
विश्वनाथन, के. एन. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता, यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री  
प्रियदर्शिनी सिंह, सुश्री अशिमता सिंह, (मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी के  
लिए), सुमित गोयल, मेसर्स रुक्मिणी एस. बोबडे, के. रे, (मेसर्स पारेख एंड  
कंपनी के लिए)। ), मेसर्स केसवानी एंड कंपनी, वी. एन. रघुपति, अनिरुद्ध  
एस., परीक्षित अंगड़ी, चिनमय देशपांडे, अमजिद मकबूल, संजय कुनूर,  
रमेश केसवानी, आनंद सान जय एम. नुली, धर्म सिंह, मिस. नुली और  
नुली, विकास मेहता, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, महेश अग्रवाल, सुश्री पारुल  
शुक्ला, विभोर अग्रवाल, हिमांशु सतीजा, के. अजीत सिंह, ई. सी. अग्रवाल,  
रोह इट भट, मोहम्मद सफिक, पुरुषोत्तम, सूर्य प्रकाश, वी. श्यामोहन,  
मनीष कुमार, मोहित अरोड़ा, सुश्री दिव्या राँय, टी. आर. बी. शिवकुमार,  
वी. विजय कुमार, वी. लक्ष्मीकुमारन, एम. पी. देवनाथ, आदित्य भट्टाचार्य,  
आनंद के., सुश्री एल. चारनाया, हेमंत बजाज, अभिषेक आनंद, मोहित

चौधरी, सुश्री पूजा शर्मा, सुश्री दामिनी चावला, कुना सचदेवा, एल. एम. आर. एन. अली, विकास उपाध्याय, कनुप्रिया भार्गव, संदीप सिंह, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, सुश्री निहारिका, अजय सन्ना, अमन शुक्ला, शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, अनूप कुमार, टी. वी. रत्नम, एम. सौरी देव, एस. कौशिक, अधिवक्ता उपस्थित पक्षकारों के लिए ।

न्यायालय का निर्णय जे. आर.एफ. नरीमन द्वारा सुनाया गया।

1. एसएलपी संख्या 15253/2015, 18646-19117/2015, 10081-10124/2015 में अनुमति प्रदान की गयी ।

2. अपीलों का यह समूह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की करयोग्यता की दर से संबंधित है। इन अपीलों में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि क्या इमारतों में उपयोग किए जाने वाले सीमेंट कंक्रीट के लोहे और इस्पात के सुदृढीकरण कर योग्य होने के बिंदु पर, यानी किसी कार्य अनुबंध में वृद्धि के बिंदु पर, लोहे और इस्पात के रूप में अपना चरित्र खो देते हैं। ये सभी अपीलें कर्नाटक राज्य से आती हैं और इन्हें दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है-एक समूह जो कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों से संबंधित है और 1.4.2005 के बाद की अपीलें जो कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 से संबंधित हैं। इन अपीलों के तथ्य कमोबेश समान हैं-लोहा और इस्पात उत्पादों का उपयोग सीमेंट के

सुदृढीकरण के लिए कार्य अनुबंधों के निष्पादन में किया जाता है, लोहा और इस्पात उत्पाद स्तंभों, बीमों, छतों आदि का हिस्सा बन जाते हैं जो अंतिम अचल संरचना के सभी भाग हैं जो कि इमारत या अन्य संरचना है जिसका निर्माण किया जाना है।

3. पार्टियों के लिए विद्वान वकील की दलीलों पर आने से पहले, पहले संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम और दो कर्नाटक अधिनियमों को निर्धारित करना आवश्यक है।

4. संविधान का अनुच्छेद 286 (3) इस प्रकार है: -

"अनुच्छेद 286. वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध

XX XX XX

(3) किसी राज्य की कोई विधि, जहाँ तक वह अधिरोपित करती है या अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत करती है,

(क) संसद द्वारा कानून द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित माल की बिक्री या खरीद पर कर; या

(ख) माल की बिक्री या खरीद पर कर, जो अनुच्छेद 366 के खंड 29 ए के उपखंड (बी), उपखंड (सी) या उपखंड (डी) में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है,

ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा जो कर की प्रणाली, दरों और अन्य घटनाओं के संबंध में संसद कानून द्वारा निर्दिष्ट करे।

5. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14, जहां तक यह वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

"धारा 14

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में कुछ वस्तुओं का विशेष महत्व होना एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में निम्नलिखित वस्तुओं का विशेष महत्व है: -

(iv) लोहा और इस्पात, अर्थात् -

(i) [पिग आयरन, स्पंज आयरन और] कच्चा लोहा जिसमें [पिंड मोल्ड, बॉटम प्लेट्स], आयरन स्क्रेप, कॉस्ट आयरन स्क्रेप, रनर स्क्रेप और आयरन स्कल स्क्रेप शामिल हैं;

(ii) स्टील सेमी (सभी गुणवत्ता, आकार और आकार के सिल्लियां, स्लैब, ब्लूम और बिलेट्स);

(iii) स्केल्प बार, बार, स्टील बार, फॉर-बार और स्लीपर बार

(iv) स्टील की छड़ें, गोल, छड़ें, चौकोर, सपाट, अष्टकोणीय और षट्भुज, सादे और धारीदार या मुड़े हुए, कुंडल रूप में और साथ ही सीधे लंबे

- (v) स्टील स्ट्रक्चरल (कोण, जॉयस्ट, चैनल, टीज़, शीट पाइलिंग सेक्शन, जेड-सेक्शन या कोई अन्य रोलड सेक्शन);
- (vi) चादरें, हुप्स, स्ट्रिप्स और स्केल्प, दोनों काले और जस्ती, गर्म और ठंडे रोल किए गए सादे और नालीदार, सभी गुणों में, सीधी लंबाई में और कुंडल रूप में, रोल किए हुए और कीलकित स्थिति में;
- (vii) सभी गुणवत्ता में सादे और चेकर दोनों प्रकार की प्लेटें;
- (viii) डिस्क, रिंग, फोर्जिंग और स्टील कास्टिंग;
- (ix) उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के उपकरण, मिश्र धातु और विशेष स्टील;
- (x) स्टील स्कल, टर्निंग और बोरिंग सहित सभी रूपों में स्टील पिघलने वाला स्क्रेप;
- (xi) स्टील ट्यूब, वेल्डेड और निर्बाध दोनों, ट्यूब फिटिंग सहित सभी व्यास और लंबाई की;
- (xii) टिन-प्लेटें, दोनों हॉट डिप्ड और इलेक्ट्रोलाइटिक और टिन मुक्त प्लेटें;



(xiii) फिस्ट प्लेट बार, बियरिंग प्लेट बार, क्रॉसिंग स्लीपर बार, फिश प्लेट, बियरिंग प्लेट, क्रॉसिंग स्लीपर और दबाए गए स्टील स्लीपर-भारी और हल्के क्रैन रेल;

(xiv) पहिए, टायर, एक्सल और व्हील सेट;

(xv) तार की छड़ें और तार-लुढ़का हुआ, खींचा हुआ, गैल्वनाइज्ड, एल्युमिनाइज्ड, टिनयुक्त या लेपित जैसे कि तांबे द्वारा;

(xvi) उपरोक्त श्रेणियाँ में से किसी में भी - कमी, कटिंग, रिजैक्ट या अंतिम श्रेणी का

धारा 15

किसी राज्य के भीतर घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर के संबंध में प्रतिबंध और शर्तें।

किसी राज्य की प्रत्येक बिक्री कर विधि, जहाँ तक वह घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाती है या उसे अधिकृत करती है, निम्नलिखित प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:

राज्य के भीतर ऐसी वस्तुओं की किसी भी बिक्री या खरीद के संबंध में उस कानून के तहत देय कर उसकी बिक्री या खरीद मूल्य के [पाँच प्रतिशत] से अधिक नहीं होगा।

6. संविधान के 46 वें संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 366 (29 ए) 8 को जोड़ा गया था, जिसके द्वारा किसी कार्य अनुबंध में शामिल वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाना संभव हो गया था। घोषित माल अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत कर योग्य थे, जो यहाँ नीचे दी गई है:

धारा 5(4)

उप-धारा (1) या धारा 5-8 या धारा 5-ग में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत कर चौथी अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित किसी भी घोषित माल की बिक्री या खरीद के संबंध में उस दर पर और केवल उस बिंदु पर लगाया जाएगा जो उक्त अनुसूची के कॉलम (4) और (3) की संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी विक्रेता पर, ऐसे माल से संबंधित प्रत्येक वर्ष में बिक्री या खरीद के उसके कर योग्य कारोबार पर:

कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम को कार्य अनुबंधों में शामिल वस्तुओं पर कर लगाने के लिए संशोधित किया गया था। संवैधानिक संशोधन का लाभ उठाते हुए कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 में धारा 5-बी को जोड़ा गया था। यह खंड इस प्रकार है:

"धारा 5-बी; माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर का उद्ग्रहण (चाहे माल के रूप में या कुछ अन्य रूपों में) में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर का

शुल्क। धारा 5 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या उप-धारा (3-सी) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन उक्त धारा की उप-धारा (4), (5) या (6) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विक्रेता इस अधिनियम के तहत छठी अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के अपने कर योग्य कारोबार पर प्रत्येक वर्ष के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट दरों पर कर का भुगतान करेगा।

7. उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची, जो घोषित वस्तुओं से संबंधित है, जिसके संबंध में धारा 5(4) के तहत एकल बिंदु कर लगाया जाता है, इस प्रकार है:

1983 का अधिनियम 3 (1-11-1982 से

क्रम	माल का विवरण	शुल्क का बिंदु	जिस अवधि के लिए लागू	कर दर
1	2	3	4	5
2.	2. "लोहा और इस्पात", अर्थात्- [[क]] (i) पिग आयरन			

<p>और कास्ट आयरन जिसमें सिल्लियाँ, नीचे की प्लेटें शामिल हैं।</p>	-do-	1-11-82 से	4%
<p>(ii) स्टील सेमी (सभी गुणों, आकारों और आकारों के सिल्ल, स्लैब, ब्लूम्स और बिलेट)</p>	-do-	15-7-75 से	4%
<p>(iii) स्केल्प बार, टिन बार, शीट बार, हो-बार और स्लीपर बार;</p>			
<p>(iv) स्टील की छड़ें (गोल, छड़, वर्ग, समतल, अष्टभुज और षट्कोण, सरल और रिब्ड या मुड़े हुए, कुंठल के रूप में और साथ ही सीधी लंबाई में);</p>			

<p>(v) इस्पात संरचनाएँ (कोण, जॉइस्ट, चैनल, टीज़, शीट पाइलिंग सेक्शन, जेड सेक्शन या कोई अन्य रोलड सेक्शन)</p>			
<p>(vi) चादरें, हुप्स, स्ट्रिप्स और स्केल्प, दोनों काले और गैल्वनाइज़्ड, गर्म और ठंडे रोलड, सादे और नालीदार, सभी गुणों में, सीधी लंबाई में और कुंडल के रूप में, रोलड और रिवेटेड स्थिति में;</p>			
<p>(vii) सभी गुणवत्ता में सादे और चेकर दोनों प्रकार की प्लेटें;</p>			

<p>(viii) डिस्क, रिंग, फोर्जिंग और स्टील कास्टिंग; इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी राज्य में पहले या सबसे पहले क्रमिक विक्रेताओं द्वारा बिक्री।</p> <p>(ix) उपकरण, मिश्र धातु और विशेष इस्पात उपरोक्त श्रेणियों में से कोई भी;</p> <p>1975 का अधिनियम 30 (15-7-75 से 31-10-82)</p> <p>(x) स्टील स्कल टर्निंग और बोरिंग सहित सभी रूपों में स्टील पिघलने</p>			
--	--	--	--

	वाला स्क्रेप;			
		-do-	15.7.75 से 31.10.82	4%

8. इसी तरह, छठी अनुसूची, जिसे धारा 5-बी के साथ पढ़ा जाना है, जहां तक यह प्रासंगिक है, निम्नानुसार है: -

क्रम	कार्यों का विवरण	जिस अवधि के लिए	कर दर
1	2	3	4
6	सिविल निर्माण कार्य जैसे भवन, पुल, सड़क आदि का निर्माण	1-4-86 से 31-3-95 1-4-95 से 31-3-91	5% 8%

9. 1.4.2005 के बाद, कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, घोषित माल और कार्य अनुबंधों पर आम तौर पर निम्नानुसार कर लगाता है: -

धारा 4- कर और उसकी दरों के प्रति दायित्व

(1) प्रत्येक व्यापारी जो धारा 22 और 24 में निर्दिष्ट के अनुसार पंजीकृत है या होना आवश्यक है, अपने कर योग्य कारोबार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(क) में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में -



(i) दूसरी अनुसूची, एक प्रतिशत की दर से

(ख) तीसरी अनुसूची, क्रम संख्या 30 में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में चार प्रतिशत और अन्य वस्तुओं के संबंध में पांच प्रतिशत की दर से, और

(i) चौथी अनुसूची, 20 प्रतिशत की दर से

(ख) के संबंध में -

(i) सिगरेट, सिगार, गुटका और अन्य निर्मित तंबाकू पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(ii) साढ़े तेरह प्रतिशत की दर से अन्य सामान।

(ग) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74) की धारा 14 और 15 के अधीन, छठी अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट दरों पर।

तीसरी अनुसूची:

30. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74) की धारा 14 में निर्दिष्ट घोषित माल

छठी अनुसूची:

23.	उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी निर्दिष्ट नहीं किए गए अन्य सभी कार्य अनुबंध, जिनमें उपरोक्त श्रेणियों में से एक या अधिक के साथ समग्र अनुबंध शामिल हैं, साढ़े चौदह प्रतिशत	साढ़े चौदह प्रतिशत
-----	--	--------------------

10. हमें मुख्य रूप से 2007 की सिविल अपील No.4318 में दिनांकित 1.9.2006 के विवादित फैसले और राजस्व के पक्ष में 2007 की सिविल अपील संख्या 4149 में दिनांकित 12.8.2004 के फैसले से निपटना है, और एक विस्तृत विवादित फैसले को जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा कर्नाटक राज्य में दिनांकित 10.12.2013 और आदि बनाम मेसर्स रेड्डी स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और आदि द्वारा एसएलपी (सिविल) संख्या 18646-19117/2015 से उत्पन्न सिविल अपीलों में चुनौती दी गई है।

11. श्री एन. वेंकटरमन ने निर्धारिती की ओर से दलीलों का नेतृत्व किया, जिसके बाद श्री एस. के. बागरिया, श्री के. वी. विश्वनाथन और कुछ अन्य लोगों ने उनका अनुसरण किया। विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान मामला इस न्यायालय के दो निर्णयों से समाप्त होता है, अर्थात्, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, (1989) 2 एस. सी. सी. 645,

और गन्नन डंकरली एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य, (1993) । एस. सी. सी. 364। दिनांक 10.12.2013 का विस्तृत निर्णय उपरोक्त निर्णयों से सभी प्रासंगिक अंशों को सही ढंग से निकालता है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत, इमारतों और संरचनाओं में उपयोग किए जाने वाले सीमेंट कंक्रीट के लिए प्रबलित लोहे और इस्पात के उत्पाद, कर योग्य होने के बिंदु पर बिल्कुल वही सामान बने रहते हैं-यानी वृद्धि का बिंदु, और केवल विभिन्न आकारों में कटौती और झुकने से ये वस्तुएं घोषित वस्तुओं के रूप में अपनी पहचान नहीं खोती हैं। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, केवल 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है, और आम तौर पर नागरिक निर्माण कार्यों के संबंध में उच्च दर नहीं लगाई जा सकती है। अन्य विद्वान वकीलों ने कमोबेश श्री एन. वेंकटरमण की तर्ज पर तर्क दिया, केवल यह कहते हुए कि यह नहीं कहा जा सकता है कि लोहे और इस्पात के सामानों की पहचान कर योग्य होने के बिंदु पर बदल गई थी, और उन्होंने यह दिखाने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया कि केवल इन उत्पादों को काटने और आकार देने से "निर्माण" नहीं होगा और इसलिए जिन सामानों को अकेले घोषित किया गया था, वे कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम के साथ-साथ कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे।

12. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. एन. भट ने तमिलनाडु राज्य बनाम मेसर्स प्यारे लाल मल्होत्रा और अन्य (1976) 1 एस. सी. सी. 834 पर दृढ़ता से भरोसा किया, ताकि उनकी इस दलील को बल दिया जा सके कि लोहा और इस्पात उत्पाद लोहे और इस्पात उत्पादों के रूप में जारी नहीं रहे, बल्कि वृद्धि के बिंदु पर किसी तरह अलग-अलग वस्तु बन गए और इसलिए, उन पर आम तौर पर नागरिक निर्माणों पर लागू उच्च दर पर कर लगाया जा सकता है। उन्होंने श्री एन. वेंकटरमण द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों में निर्धारित कानून पर विवाद नहीं किया और बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि यदि लोहा और इस्पात उत्पाद घोषित वस्तुओं के रूप में जारी रहते हैं, तो भले ही वे एक कार्य अनुबंध में थे, वे केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 के अभ्यास के अधीन थे, और इसलिए यदि यह पाया जाता है कि उक्त उत्पाद वही बने रहते हैं तो 4 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

13. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि श्री एन. वेंकटरमन सही हैं। मामला अब एकीकृत नहीं है। बिल्डर्स एसोसिएशन और मेसर्स गैनन डंकरली (सुप्रा) के संयुक्त अध्ययन पर दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आते हैं। पहला, 46वें संविधान संशोधन के बाद जिन अनुबंधों पर कर लगाया जा सकता है, वे केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की

धारा 15 के साथ पठित अनुच्छेद 286 (3) के अभ्यास के अधीन हैं, अर्थात् वे एक ही बिंदु पर और प्रासंगिक समय पर 4 प्रतिशत से अधिक की दर से प्रभार्य हैं। इसके अलावा, जिस बिंदु पर ये लोहे और इस्पात के उत्पाद कर योग्य हैं, वह वृद्धि का बिंदु है, जो भवन या संरचना में शामिल करने का बिंदु है।

14. इसलिए, इन दोनों निर्णयों के प्रासंगिक अनुच्छेदों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। बिल्डर्स एसोसिएशन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

"इस विचार का कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट माल के सभी हस्तांतरण, वितरण और आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 286 के खंड (1), खंड (2) और उपखंड (ए) में उल्लिखित प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन हैं और संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उपखंड (बी), (सी) और (डी) के तहत होने वाले हस्तांतरण और वितरण संविधान के अनुच्छेद 286 (3) के उपखंड (बी) में उल्लिखित एक अतिरिक्त प्रतिबंध के अधीन हैं।"

बेंजामिन की वस्तुओं की बिक्री (तीसरा संस्करण) में पृष्ठ 36 पर पैरा 43 में यह इस प्रकार कहा गया है:

"भूमि या किसी अन्य भूखंड पर लगाया जाने वाला भूखंड-जहां नियोक्ता की भूमि पर या उससे संबंधित भूखंड पर काम किया जाना है, जिसमें नियोजित व्यक्ति से संबंधित सामग्री का उपयोग या चिपकाना शामिल है, अनुबंध आम तौर पर काम और सामग्री के लिए होगा, जिसमें बाद में संपत्ति विलय द्वारा नियोक्ता को दी जाएगी, न कि बिक्री के किसी अनुबंध के तहत। हालाँकि, कभी-कभी, इसके बजाय एक अतिरिक्त और सहायक समझौते के साथ एक वस्तु की बिक्री हो सकती है। संपत्ति तब वस्तु को चिपकाने से पहले, बिक्री के अनुबंध या उसके तहत किए गए विनियोग के आधार पर गुजर जाती है। "

उन वस्तुओं में संपत्ति के पारित होने के संबंध में पूर्वगामी बयानों को देखते हुए जो कार्य अनुबंध में शामिल हैं और संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पना को देखते हुए राज्यों के इस तर्क से सहमत होना मुश्किल है कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में मालिक को हस्तांतरित की जाने वाली संपत्तियां कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि एक समूह है, जो वास्तव में निर्मित पूरी इमारत है। 46वें संशोधन के बाद राज्यों की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि कार्य अनुबंध में जो हस्तांतरित किया जाता है वह अचल संपत्ति में अधिकार है।

46वां संशोधन राज्यों के लिए कार्य अनुबंधों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सामग्रियों की कीमत पर बिक्री कर लगाना संभव बनाता है, जैसे कि ऐसी वस्तुओं और सामग्रियों की बिक्री होती थी।

हम उन राज्यों के रवैये पर आश्चर्यचकित हैं जिन्होंने यह दलील दी है कि 46वें संशोधन के पारित होने पर संविधान ने राज्यों को राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर लगाने की उनकी शक्ति के संबंध में पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। 46वां संशोधन राज्यों के लिए वस्तुओं और वस्तुओं की कीमत पर बिक्री कर लगाने को संभव बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। कार्य अनुबंधों में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कि ऐसी वस्तुओं और सामग्रियों की बिक्री थी। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि अनुच्छेद 366 (29-ए) के उपखंड (बी) को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में एक अलग प्रविष्टि के बराबर के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो राज्यों को बिक्री और खरीद पर कर लगाने में सक्षम बनाता है। जैसा कि आज संविधान मौजूद है, अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के तहत वस्तुओं की "मानित" बिक्री और खरीद सहित वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति केवल प्रविष्टि 54 में पाई जाती है, न कि इसके बाहर। हम यहाँ बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661: (1955) 2 एस. सी. आर. 603: (1955) 6 एस. टी. सी. 446] के मामले में संविधान

पीठ की टिप्पणियों को दोहरा सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 286 के कई भागों के परिचालन प्रावधान जो राज्यों द्वारा बिक्री कर लगाने पर प्रतिबंध लगाते हैं, विभिन्न विषयों से निपटने के लिए हैं और एक को दूसरे में पेश या पढ़ा नहीं जा सकता है और उनमें से प्रत्येक का पालन किया जाना चाहिए, जबकि किसी भी बिक्री या खरीद पर राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के तहत कर लगाया जाता है।

इसलिए हम घोषणा करते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित बिक्री कर कानून, जो किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगाते हैं, संविधान के अनुच्छेद 286 के प्रत्येक खंड या उपखंड में उल्लिखित प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जिन मामलों पर पहले बहस की गई थी और जिन पर हमारे द्वारा विचार किया गया था, वे "कार्य अनुबंध" की सामान्य अवधारणा की एक प्रजाति से संबंधित हैं। केस-बुक "कार्य अनुबंध" की अभिव्यक्ति की अनंत विविधता के चित्रों से भरी हुई है। व्यक्तिगत मामलों में जो भी स्थितिजन्य अंतर हों, अनुच्छेद 366 (29-ए) के तहत संवैधानिक रूप से परिभाषित "वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर" की विस्तारित अवधारणा के संदर्भ में "निर्माण अनुबंध" द्वारा दर्शाए गए "कार्य



अनुबंधों" पर लागू होने वाली राज्य की कर लगाने की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएं आवश्यक स्थितिजन्य संशोधनों के साथ "कार्य अनुबंधों" की अन्य प्रजातियों पर भी समान रूप से लागू होंगी। (पैरा 38-41)

मेसर्स गैनन डंकरले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"ऊपर उल्लिखित सीमाओं के अलावा, जो राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता के दायरे को कम करती हैं, अनुच्छेद 286 का खंड (3) है जो संसद को राज्य सूची में प्रविष्टि 54 के तहत राज्य की विधायी शक्ति के प्रयोग पर शुल्क, दरों और कर की अन्य घटनाओं के संबंध में प्रतिबंध और शर्तें लगाते हुए एक कानून बनाने में सक्षम बनाता है। ऐसा कानून (ए) संसद द्वारा कानून द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं, या (बी) अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उपखंड (बी), (सी) और (डी) में निर्दिष्ट प्रकृति के करों के संबंध में हो सकता है। जब ऐसा कोई कानून संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सूची में प्रविष्टि 54 के तहत राज्यों की विधायी शक्ति का प्रयोग उस कानून में निर्दिष्ट प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 286 (3) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 और 15 को अधिनियमित किया है। हालाँकि, संसद द्वारा अनुच्छेद 286 (3) (बी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई कानून नहीं बनाया गया है।

इन्हीं कारणों से केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 और 15 किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली मानित बिक्री पर भी लागू होगी और राज्य सूची में प्रविष्टि 54 के तहत विधायी शक्ति का उपयोग उन वस्तुओं के संबंध में उक्त प्रावधानों में निर्धारित प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन किया जाएगा जिन्हें अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित किया गया है।

इसलिए राज्य विधानमंडल के लिए केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं पर कर लगाने की अनुमति नहीं है, सिवाय केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 में निहित प्रतिबंधों और शर्तों के।

चूँकि कर योग्य घटना किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण है और ऐसी वस्तुओं में संपत्ति का उक्त हस्तांतरण तब होता है जब माल को कार्यों में शामिल किया जाता है, इसलिए माल का मूल्य जो कर लगाने के लिए उपाय हो सकता है, वह कार्यों में माल को शामिल करने के समय माल का मूल्य होना चाहिए, न कि ठेकेदार द्वारा माल के अधिग्रहण की लागत। हम राज्यों की ओर से इस तर्क को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य के अलावा कार्यों में माल को शामिल करने की

लागत को कर लगाने के उपाय में शामिल किया जा सकता है। कार्यों में माल का समावेश कार्य और श्रम से संबंधित अनुबंध का हिस्सा है जो माल में संपत्ति के हस्तांतरण के अनुबंध से अलग है और इसलिए, कार्यों में माल को शामिल करने की लागत को अनुच्छेद 366 (29-ए) {बी} द्वारा विचारित कर लगाने के उपाय का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है।

15. इस मोड़ पर, हमारे सामने एक विशिष्ट मामले में तथ्य स्थिति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। 2015 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 18646-19117 से उत्पन्न सिविल अपीलों में कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 18.10.2010 के एक आदेश में तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है:

"विभिन्न व्यास की विभिन्न प्रकार की स्टील की छड़ें/छड़ें सुदृढीकरण के रूप में उपयोग की जाती हैं (जैसे टी. एम. टी. छड़ें, सी. टी. डी. छड़ें आदि)। झुकने के क्षणों और लचीले कतरनी का सामना करने के लिए सुदृढीकरण पट्टियों/छड़ को एक विशेष तरीके से सिरों पर झुकाया जाना चाहिए। मुख्य सुदृढीकरण पट्टियाँ/छड़ें लंबी अवधि की दिशा में समानांतर रूप से रखी जानी चाहिए। इस तरह के मुख्य सुदृढीकरण छड़/छड़ के व्यास और किसी भी दो मुख्य सुदृढीकरण छड़/छड़ के बीच की दूरी की गणना विभिन्न इंजीनियरिंग मापदंडों के आधार पर बनाई जाने वाली प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना द्वारा वहन किए जाने वाले आवश्यक भार के आधार

पर की जाती है। मुख्य सुदृढीकरण छड़/छड़ के समकोण पर, उचित कम व्यास के वितरण छड़/छड़ रखे जाते हैं और वितरण छड़/छड़ और मुख्य सुदृढीकरण छड़/छड़ के बीच के चौराहों को बाध्यकारी तार के साथ एक साथ बांधा जाता है। बांधना निर्माण के उद्देश्यों के लिए नहीं है, बल्कि यह देखने के लिए है कि लोहे की छड़ें या छड़ें चित्र के अनुसार निर्धारित स्थानों से कंक्रीट के दौरान विस्थापित न हों। अनुदैर्घ्य मुख्य छड़ें और अनुप्रस्थ वितरण छड़ें वेल्डिंग नहीं की जाती हैं। वास्तव में, वेल्डिंग विरोधाभासी है क्योंकि यह सुदृढीकरण को बहुत अधिक कठोरता प्रदान करता है जो संरचना पर अलग-अलग भार की भरपाई करने के लिए छत की संरचना की दोलन या झुकने की क्षमता को बाधित करता है, इसके अलावा वेल्डिंग बार/रॉड के क्रॉस सेक्शन को कम कर देती है जिससे उनकी तन्यता शक्ति कमजोर हो जाती है। सुदृढीकरण को मानक बार झुकने की अनुसूची में पाए जाने वाले विस्तृत सिद्धांतों और चित्रों के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर रखा जाता है और एक साथ बांधा जाता है जो बार/रॉड के बीच के अंतराल के सटीक मापदंडों, स्टील सुदृढीकरण बार/रॉड के आवश्यक व्यास को निर्धारित करता है और इसमें एक विशेष तरीके से बार लगाने के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग चित्र होते हैं। विभिन्न संरचनाओं के लिए सुदृढीकरण बार/रॉड की नियुक्ति योग्य बार टेंडर और साइट इंजीनियरों की देखरेख में की जाती है जो वांछित भार वहन क्षमताओं के

प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए स्टील सुदृढीकरण से संबंधित इंजीनियरिंग पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

अपीलकर्ता कंपनी ने अपने कार्य स्थलों पर सुदृढीकरण पट्टियों/छड़ों को लगाने और बांधने के काम की प्रगति को दर्शाते हुए सामान्य तस्वीरें प्रस्तुत की हैं। उक्त तस्वीरें सीमेंट कंक्रीट मिश्रणों में इस तरह की छड़ें/छड़ें लगाने से पहले इस्पात सुदृढीकरण छड़ें/छड़ें लगाने और एक साथ बांधने से संबंधित उपरोक्त निष्कर्षों की शुद्धता को भी स्थापित करती हैं। एस. टी. ए. संख्या .1328/2008 में इस न्यायाधिकरण द्वारा 10.2.2009 (श्री जे. भास्कर राव के मामले में) पर निर्णय लिए गए एक अन्य मामले में, जिस पर अपीलार्थी भरोसा करता है, कर्नाटक सरकार, लघु सिंचाई विभाग और उक्त अपीलार्थी (जो नागरिक निर्माण गतिविधि में लगे एक सिविल ठेकेदार थे) के बीच समझौते में, कर्नाटक सरकार द्वारा सुदृढीकरण छड़/छड़ की नियुक्ति और एक साथ बांधने के लिए विनिर्देश निम्नानुसार निर्धारित किए गए थे:

"सुदृढीकरण इस्पात संबंधित चित्रों पर दिखाए गए बार झुकने के अनुसूचियों में दिए गए आयामों के अनुरूप होगा। बार को विशिष्ट आकार और आयामों के अनुसार ठंडा किया जाएगा या एक उचित बार बैंडर का उपयोग करके प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जो झुकने की उचित त्रिज्या प्राप्त करने के लिए हाथ या शक्ति द्वारा संचालित होगा। "

"सुदृढीकरण की स्थापना:

सभी सुदृढीकरण पट्टियों को चित्र पर दिखाए गए सटीक स्थान पर सटीक रूप से रखा जाएगा और कंक्रीट को रखने के दौरान 1 मिमी से कम आकार के और आई. एस. 280 के अनुरूप एनीलेड बाइंडिंग तार द्वारा और पर्याप्त निकट अंतराल पर स्टे, ब्लॉक या धातु की कुर्सियों, स्पेसर, धातु के हैंगर, सहायक तारों या अन्य अनुमोदित उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। बार को कंक्रीट या काम के दौरान किसी अन्य संचालन के दौरान विस्थापित नहीं किए गए आधारों के बीच समाप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक संभव हो, पूरी लंबाई के बार का उपयोग किया जाएगा। यदि यह संभव नहीं है, तो अतिव्यापी पट्टियाँ एक-दूसरे को नहीं छुएंगी, लेकिन उनके बीच कंक्रीट द्वारा 25 मिमी, या मोटे समुच्चय के अधिकतम आकार का  $1/4$  गुना, जो भी अधिक हो, अलग रखा जाएगा। जहां संभव नहीं है, ओवरलैपिंग बार को स्टील के तार से बांधा जाएगा, जो आई. एम. एम. से कम नहीं होगा। मोटाई कसकर मुड़ गई। ओवरलैप को अलग-अलग पट्टियों के लिए अलग किया जाएगा और उस अवधि के साथ उन बिंदुओं पर स्थित होगा जहां न तो कतरनी और न ही झुकने का समय अधिकतम है।

सभी सुदृढीकरण पट्टियों को चित्र पर दिखाए गए सटीक स्थान पर सटीक रूप से रखा जाएगा और कंक्रीट को रखने के दौरान 1 मिमी से कम

आकार के और आई. एस. 280 के अनुरूप एनीलेड बाइंडिंग तार द्वारा और पर्याप्त निकट अंतराल पर स्टे, ब्लॉक या धातु की कुर्सियों, स्पेसर, धातु के हैंगर, सहायक तारों या अन्य अनुमोदित उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। बार को कंक्रीट या काम के दौरान किसी अन्य संचालन के दौरान विस्थापित नहीं किए गए आधारों के बीच समाप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक संभव हो, पूरी लंबाई के बार का उपयोग किया जाएगा। यदि यह संभव नहीं है, तो अतिव्यापी पट्टियाँ एक-दूसरे को नहीं छुएंगी, लेकिन उनके बीच कंक्रीट द्वारा 25 मिमी, या मोटे समुच्चय के अधिकतम आकार का  $(1/4)$  गुना, जो भी अधिक हो, अलग रखा जाएगा। जहां संभव नहीं है, ओवरलैपिंग बार को स्टील के तार से बांधा जाएगा, जो आई. एम. एम. से कम नहीं होगा। मोटाई कसकर मुड़ गई। ओवरलैप को अलग-अलग पट्टियों के लिए अलग किया जाएगा और उस अवधि के साथ उन बिंदुओं पर स्थित होगा जहां न तो कतरनी और न ही झुकने का समय अधिकतम है।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर भवन निर्माण कार्यों में, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं को बनाने के लिए सीमेंट कंक्रीट मिश्रण में एम्बेड करने से पहले किसी भी स्टील संरचना का पूर्व-निर्माण नहीं किया जाता है। मौजूदा मामलों में विपरीत प्रभाव वाले निचले अधिकारियों के निष्कर्ष पूरी तरह से तथ्यों के विपरीत हैं।

सीमेंट कंक्रीट मिश्रण के साथ एम्बेडेड होने से पहले स्टील सुदृढीकरण छड़ों/बारों को आवश्यक आकार में काटने के बाद उनके सिरो को मोड़ना और उन्हें बाइंडिंग तार के साथ चौराहों पर बांधना ही एकमात्र प्रक्रिया है। इनमें से कोई भी प्रक्रिया विनिर्माण प्रक्रिया का गठन नहीं करती है और कार्यों में शामिल होने से पहले कोई भी नई वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है।"

16. इस तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए, श्री के. एन. भट ने तमिलनाडु राज्य बनाम मेसर्स प्यारे लाल मल्होत्रा और अन्य (1976) एस. सी. सी. 834 के फैसले का उल्लेख किया और इस फैसले के पैराग्राफ 9 और 10 पर भरोसा किया जो इस प्रकार हैं:

"यदि उद्देश्य लोहे और इस्पात को एक पदार्थ के रूप में कर योग्य बनाना था, तो प्रविष्टि हो सकती थी: "लोहे और इस्पात के सामान"। शायद यह भी पर्याप्त स्पष्ट नहीं था। स्पष्ट रूप से यह अर्थ रखने के लिए प्रविष्टि होनी चाहिए: "लोहा और इस्पात, चाहे उनसे बने माल के रूप या आकार या चरित्र में कोई भी बदलाव हो।" यह बहुत ही असामान्य अर्थ है जिसे उत्तरदाता चाहते हैं कि हम अपनाएँ। यदि इसका अर्थ यही था, तो बिक्री कर कानून अपने आप में एक ऐसे कानून से बदल जाएगा जो आम तौर पर "वस्तुओं" की बिक्री पर कर लगाता है और एक ऐसे कानून में बदल जाएगा जो उन पदार्थों की बिक्री पर कर लगाता है, जिनमें से सामान



बनाए जाते हैं। हालाँकि, हम अधिक प्राकृतिक और सामान्य व्याख्या को पसंद करते हैं जो प्रत्येक वस्तु के अलग-अलग विनिर्देश और संख्या के तथ्य से स्पष्ट रूप से मिलती है। इसका मतलब है कि इस प्रकार निर्दिष्ट प्रत्येक वस्तु बिक्री की प्रत्येक श्रृंखला के लिए एक अलग प्रजाति बनाती है, हालांकि वे सभी "लोहा और इस्पात" वंश से संबंधित हो सकते हैं। इसलिए, यदि लोहे और इस्पात की "प्लेटों" को पिघलाया जाता है और "तार" में परिवर्तित किया जाता है और फिर बाजार में बेचा जाता है, तो इस तरह के तार पर केवल एक बार कर लगाया जाएगा, जब तक कि यह लोहे या इस्पात से बने "तार" श्रेणी से संबंधित वाणिज्यिक सामान के रूप में अपनी पहचान बनाए रखता है। केवल यह तथ्य कि जिस पदार्थ या कच्चे माल से इसे बनाया गया है, उस पर किसी अन्य रूप में भी कर लगाया गया है, जब इसे एक अलग वाणिज्यिक वस्तु के रूप में बेचा गया था, बिक्री कर के कानून के उद्देश्यों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें लगता है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक किस्म की वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाना है, न कि उस पदार्थ की बिक्री जिससे वे बनाए जाते हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिक्री कर कानून का उद्देश्य विभिन्न वाणिज्यिक वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाना है और उन विशेष पदार्थों के उत्पादन या निर्माण पर कर लगाना नहीं है जिनसे ये वस्तुएं बनाई गई हों। जैसे ही अलग-अलग वाणिज्यिक वस्तुएं उभरती हैं या अस्तित्व में

आती हैं, वे बिक्री कर के उद्देश्यों के लिए अलग से कर योग्य वस्तुएं या संस्थाएं बन जाती हैं। जहां वाणिज्यिक वस्तुओं को, ऐसी वस्तुओं के रूप में उनकी पहचान में परिवर्तन किए बिना, केवल कुछ प्रसंस्करण या परिष्करण के अधीन किया जाता है या केवल एक साथ जोड़ा जाता है, वे व्यावसायिक रूप से ऐसी वस्तुएं रह सकती हैं जिन पर बिक्री की एक श्रृंखला में फिर से कर नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि वे एक विशेष प्रकार की वस्तु के रूप में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। [पैरा 9 और 10]

17. इन अपीलों में तथ्य की स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस निर्णय के पैराग्राफ 10 में राज्य के खिलाफ मामले को पूरी तरह से शामिल किया गया है, जहां, अपनी पहचान में बदलाव के बिना वाणिज्यिक सामान केवल कुछ प्रसंस्करण या परिष्करण के अधीन हैं, या केवल एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए व्यावसायिक रूप से वही सामान बने हुए हैं जिन पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 की कठोरता को देखते हुए फिर से कर नहीं लगाया जा सकता है। हम यह देखने में विफल हैं कि उपरोक्त निर्णय राजस्व के मामले को कैसे आगे बढ़ा सकता है।

18. हम ध्यान दे सकते हैं कि 2007 की सिविल अपील लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में, अपीलिय न्यायाधिकरण ने दिनांक 11.1.2002 पर एक आदेश पारित किया था जिसमें उसने

निर्धारिती के खिलाफ मामले का फैसला इस आधार पर किया था कि चूंकि लोहा और इस्पात उत्पाद सीमेंट कंक्रीट में चले गए थे, इसलिए उनका रूप बदल गया था, और चूंकि वे रूप बदल गए थे, इसलिए उन्हें अब माल घोषित नहीं किया गया था और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित बाधाओं के बिना कर लगाया जा सकता था। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक बिक्री कर संशोधन याचिका से एक दिनांकित आदेश प्राप्त हुआ जिसके द्वारा निर्धारिती को सुधार के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया गया था। इस सुधार याचिका को 30.11.2005 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दोनों आदेशों, अर्थात् 11.1.2002 और 30.11.2005 के खिलाफ एक बिक्री कर संशोधन याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1.9.2006 के विवादित फैसले में दुर्भाग्य से केवल 30.11.2005 के मूल आदेश को नहीं बल्कि 11.01.2002 के सुधार आदेश को स्वीकार किया और इस प्रकार पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून का कोई सवाल ही नहीं उठा। आम तौर पर, हम फैसले को दरकिनार कर देते और गुण-दोष के आधार पर मामले को निर्धारित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज देते, लेकिन इस समय हम पाते हैं कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बजाय, बिल्डर एसोसिएशन और मैसर्स गैनन डंकरली (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के आलोक में, निर्धारिती द्वारा दिनांकित 1.9.2006 और 12.8.2004 दोनों

निर्णयों को दरकिनार करना और यह घोषणा करना पर्याप्त है कि घोषित वस्तुओं पर केवल 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है।

19. राज्य अपीलों में, हम पाते हैं कि 2015 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 18646-19117 दिनांक 10.12.2013 से उत्पन्न सिविल अपीलों में प्रमुख विवादित निर्णय एक विस्तृत निर्णय है जिसमें न केवल तथ्यों पर बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भी बहुत विस्तार से विचार किया गया है। हम उक्त निर्णय की पुष्टि करते हैं और कर्नाटक राज्य की अपीलों को खारिज करते हैं।

सिविल अपील संख्या 4319/2007

मैसर्स अनंत इंजीनियरिंगवर्क्स बनाम कर्नाटक राज्य

20. यह अपील निर्धारिती द्वारा दिनांकित 26.10.2006 के एक फैसले से की गई है जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांकित 19.1.2006 के आदेश के खिलाफ संशोधन की अनुमति दी गई है। इस अपील में हम कर्नाटक बिक्री कर नियम, 1957 के नियम 6 (4) (एम) से संबंधित हैं।

"नियम 6 (4):

6. कुल एवं करयोग्य कारोबार का निर्धारण

(1).....

.....

(4) तालिका कारोबार का निर्धारण करने में, खंड (ए) से (पी) में निर्दिष्ट राशि, उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) के खंड (ए) से (ई) के तहत निर्धारित एक व्यापारी के कुल कारोबार से काट ली जाएगी।

(क).....

(ख).....

.....

(एम) छठी अनुसूची के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 35, 36, 40 और 42 में निर्दिष्ट कार्य अनुबंध के मामले में;

(i) उप-धारा (1-ए) या (1-बी) या धारा 5 के तहत कर योग्य वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य सभी राशियां जो अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पंजीकृत विक्रेताओं से खरीदी जाती हैं और उसी रूप में कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाती हैं जिसमें ऐसी वस्तुएं खरीदी जाती हैं।

(ii).....

.....व्याख्या-III उप-नियम (4) के प्रयोजन के लिए, खंड (एम) के उप-खंड (i) में प्रयुक्त 'उसी रूप में' अभिव्यक्ति में ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी जो खरीदी जाने के बाद या तो उपभोग की जाती हैं या अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाती हैं जो बदले में कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाती हैं।

21. इस मामले के तथ्यों पर, यह पाया गया है कि अपीलकर्ता दरवाजे, खिड़की के फ्रेम, ग्रिल आदि के निर्माण और निर्माण के कार्यों के अनुबंधों में लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने इन वस्तुओं के निर्माण में जाने वाले लोहे और इस्पात के सामान के लिए छूट का दावा किया था, जिसके बाद उक्त दरवाजे, खिड़की के फ्रेम, ग्रिल आदि को इमारतों और अन्य संरचनाओं में लगाया गया था। तथ्यों पर, इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय सही है और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोहे और इस्पात के सामान, खरीदे जाने के बाद, अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि दरवाजे, खिड़की के फ्रेम, ग्रिल आदि, जो बदले में कार्य अनुबंधों के निष्पादन में उपयोग किए जाते हैं और इसलिए कर से मुक्त नहीं हैं।

22. इसलिए निर्धारिती की अपील खारिज कर दी जाती है।

अपील निस्तारित की जाती है ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक हेमंत सोनी की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।